28.04.23 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार उपस्थित। उभय पक्ष बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी के दत्तक पिता श्रवण पुत्र छीतर की कृषि आराजी हरमाड़ा में स्थित है। वादग्रस्त आराजियात में अप्रार्थी संख्या-01 व 02 के नाम सम्पूर्ण अधिकार अभिलेख में गलत दर्ज हो गये जिसका अनुचित फायदा उठाते हुए अप्रार्थी संख्या-1 व 2 ने उक्त वादग्रस्त आराजियात का कुछ हिस्सा पूर्व में बेचान कर दिया तथा शेष भूमि का बेचान करने पर आमादा है। उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर अप्रार्थीगण का कोई हक-हिस्सा नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध है तथा यदि अप्रार्थीगण उक्त भूमि का बेचान कर देंगे तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को होगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करमाया जावे। पैरोकार सरकार तहसीलदार ~~हरमाड़ा~~ ने अपने जवाब को ही बहस मानने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:50:25 IST
Reason: SelfAttested

रूपनगढ़ की बहस पर हमने मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। उभय पक्ष बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा मूल वाद के निस्तारण तक पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली उर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2023 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे- बजलास सुनाया गया।

20.4.23

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:50:25 IST
Reason: SelfAttested